E-mail, web manager

प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग व्दारा जल संसाधन संभाग, उमरिया के कार्यों की समीक्षा दिनांक 6.3.2017 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 6 मार्च 2017 को जल संसाधन संभाग, उमरिया के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थेः–

1– श्री ए.के.अहिरवार, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल ।

2– श्री एच.एस. सरयाम, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया ।

3– श्री कमलाकर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, उमरिया

4– श्री प्यासी, उपयंत्री,

5– मेसर्स सुशीलदत्त पाण्डे, ठेकेदार

समीक्षा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1– भदार डायवर्सन परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने हेतु कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया । वे गुणवत्ताहीन कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें इन कार्यों के सुधार संबंधी विवरण दर्शित हो। गुणवत्ताहीन कार्यों के संपादन हेतु कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे । (कार्यवाही मुख्य अभियंता रीवा)

2– कार्यपालन यंत्री पटपरिहा परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने के संध में जो मेसर्स पब्लिक रिलेशन को आवंटित है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

3– भदार डायवर्सन परियोजना के निरीक्षण एवं सुधार कार्यों को अन्तिम रूप देने हेतु एक विशेषज्ञ टीम भोपाल से भेजी जाव जो मार्च 2017 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4– श्री जे.पी.अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी को बसाढ डायवर्सन का पानी अनाधिकृत रूप से खाली करने के लिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर अनुशासनिक कार्यवाही की जावे (कार्यवाही मुख्य अभियंता रीवा)।

5– बसाढ़ डायवर्सन परियोजना के अन्तर्गत लेवल का दिनांक 10.3.2017 तक सत्यापन किया जाकर इस कार्य में दिनांक 15.5.2017 तक हर हाल में पूर्ण किया जावे। इस परियोजना में लाईनिंग कार्य नहीं किया जाना है। ठेकेदार सुशीलदत्त पाण्डे को भी कड़ाई से गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु निर्देश दिये गये।

6– धनवाही परियोजना के संबंध में बताया गया कि आर.डी. 2200 मी. तकपानी चल रहा है । इस परियोजना में अभी भू–अर्जन के कुछ प्रकरण शेष है। कार्यपालन यंत्री के

व्दारा बताया गया कि 12 किसानों की फौती जारी नहीं हो पायी है। इन्हें शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।

7— पटपरिहा तालाब के स्टेज—2 के वन प्रकरण की स्वीकृति अभी नहीं हो पायी है, जिसके लिये कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करें। इसी प्रकार भड़ारी, वनदेही एवं घोघरी परियोजना के प्रथम चरण वन प्रकरण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भी वांछित कार्यवाही तत्काल की जावे।

16.03.17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठांकन कमांक 3491119/प्र.अ./निरीक्षण/कार्य भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 2017

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ।

2— मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा ।

3— अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल ।

4— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,उमरिया ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5— बैव मैनेजर, विश्व बैंक परियोजनाएं भोपाल की ओर बैव साइट में प्रदर्शित करने हेतु अग्रेषित।

16.03.17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल